NOC

प्रेषक,

संख्या 5207/15-12-85-10(4)/85

श्री एल०एस० गौतम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्धक,
दिल्ली पब्लिक स्कूल,
गाजियाबाद।

शिक्षा (12) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 9 अक्टूबर, 1985.

विषय:- अनापत्ति-प्रमाण पत्र।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपकी उक्त संस्था को काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। यदि आप सशर्त अनापत्ति के इच्छुक हैं तो निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति शासन को अवगत कराने का कष्ट करें:-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध

1- विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान पिछड़े एवं निम्न वर्ग आय के व्यक्ति के बच्चों/बालकों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे वही शिक्षण शुल्क लिया जायेगा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित है।
3- कापिटेशन फीस की प्रथा समाप्त की जाय अथवा यदि आवश्यक हो तो कापिटेशन फीस रीजनेबुल दर पर लिया जाय।
4- [illegible] शुल्कों की दरों में कमी की जाय जो वर्तमान दरों के 50 प्रतिशत से अधिक [illegible] है।
5- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
6- संस्था की सभी अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगी। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
7- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
8- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा जायेगा।

(ख) विशेष प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का एक कक्षा-कक्ष, दो

...2.

(13)

वैकल्पिक विषय कक्ष तथा चार प्रशासकीय कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।

3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायें तथा उन्हें प्रशासकीय उ0मा0 विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुरूप सेवा-निवृत्ति लाभ उपलब्ध करायें जायेंगे ।

4- विद्यालय का लेखा- जोखा निर्धारित प्रपत्रों/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।

5- इन शर्तों को एक निश्चित समय के भीतर पूरा कर उसका पालन करने किया जाता रहेगा और किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(एस0एस0 गौतम)
उप सचिव ।